भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 988
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

**संविधान संशोधन विधेयक**

**988. श्रीमती माला राय :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 12 वर्षों के दौरान भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है ; और

(ख) संविधान संशोधन विधेयकों के नाम सहित तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) और (ख) :** पिछले बारह वर्षों के दौरान भारत का संविधान आठ बार संशोधित किया गया और यथा अधिनियमित, उक्त संविधान संशोधन विधेयकों का विवरण निम्नानुसार है :

1. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 (जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है)
2. संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 (जो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता से संबंधित है)
3. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 (जो भारत में माल और सेवा कर से संबंधित है)
4. संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018 (जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक प्रास्थिति दिए जाने से संबंधित है)

5. संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 (जो सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित है)

6. संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019 (जो अगले दस वर्षों के लिए, तारीख 25 जनवरी, 2030 तक, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है)

7. संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 (जो संविधान के अनुच्छेद 342क में संशोधन और अनुच्छेद 338ख तथा अनुच्छेद 336 में उसके पारिणामिक संशोधनों से संबंधित है)

8. संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 (जो लोक सभा और राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है) ।

*****